भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 194

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़ 1948 (शक)

चार श्रम संहिताओं की स्थिति

†194. **श्रीमती प्रतिमा मण्डल:**

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा श्रमिकों, नियोक्ताओं और अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करते हुए इन संहिताओं को शीघ्र लागू करने की सुविधा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को व्यापक श्रम अधिकार और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए कोई रोडमैप या समय-सीमा तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा उपायों, पात्रता मानदंडों और कार्यान्वयन तंत्र सहित तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2025 से चार श्रम संहिताओं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (ओएसएचएंडडब्लूसी) संहिता, 2020 को लागू कर दिया है। उक्त श्रम संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय नियमों को 8 मई, 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है।

जारी–2/--

चूंकि 'श्रम' समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को भी इन श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने अपेक्षित हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ उनके नियमों को अंतिम रूप देने और संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। तदनुसार, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं और श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है या प्रकाशित/पूर्व-प्रकाशित कर दिया है तथा कुछ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र नियमों को पूर्व-प्रकाशित करने/अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

इन चार श्रम संहिताओं को राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद पारित किया गया था। चार श्रम संहिताओं को पारित करने और नियमों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों द्वारा उठाए गए विचारों/चिंताओं को संज्ञान में लिया गया और उनकी जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, चार श्रम संहिताओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए गए थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों सहित हितधारकों के साथ निरंतर प्रयास कर रहा है। श्रम संहिताएं कामगारों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेंगी।

गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से श्रम संहिता में पहली बार परिभाषित किया गया है।

ये चार श्रम संहिताएं परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करती हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुगम बनाती हैं तथा प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। इसके साथ ही, यह असंगठित कामगारों सहित सभी कामगारों को उपलब्ध संरक्षण को सुदृढ़ करती हैं।
